

फारम- VIII -क
कार्यालय नगर परिषद, हाजीपुर
भवन की योजना के अनुमोदन
उपविधि संख्या -8(4)

आप के आवेदन संख्या - 117 तिथि- 07-01-2020 के संदर्भ में
 श्री राजीव कुमार, पिता/पति रघुनाथ
 पता हाजीपुर पो- हाजीपुर थाना - हाजीपुर, जिला - वैशाली ।

(क) आवासीय सह व्यवसायिक भवन के निर्माण

(ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण

(ग) भवन के पुनः निर्माण

(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन

(ड.) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु हाजीपुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम 117 प्लॉट नं०- 896 खाता नं०- 2173
 .. तौजी नं०- बिहार सरकार, थाना नं०- .., मौजा- .., पता- थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली
 के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं०
117 है, जिसका निर्माण क्षेत्रफल 1885 वर्ग मीटर एवं 67 फीट की स्वीकृति दी जाती है :-

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा ।

(ग) अनुमोदित योजना मे दर्शाया गया 362.51 वर्ग मीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा ।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 9.15 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी ।

(ड.) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शान्तिपूर्ण कब्जा में आवश्यक हो ।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी कर देने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी

योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयेजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर परिषद् हाजीपुर आयोजना क्षेत्र में वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की जगह हो, के अधिकारी, हक हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

(ञ) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA), 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।

(ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यापन की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि / हेर-फेर / कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किए जाने के साथ-आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(ठ) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जाए, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता / विचलन पाए जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।

(ड) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।

(ढ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 का अनुपालन किया जाय।

(ण) अन्य शर्त।

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुए भवन निर्माण किया जाएगा।

पत्रांक :

64

प्रतिलिपि :

21/08/2020

21/08/2020

ADITYA UNIQUE CONSTRUCTIONS

Proprietor

All work 2019 j.e saheb

नगर कार्यपालक पदाधिकारी

नगर परिषद् हाजीपुर

दिनांक :

31/08/2020

नगर कार्यपालक पदाधिकारी

नगर परिषद् हाजीपुर